राज्य की नई खेल नीति 2019–20 का प्रारूप

युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

विषय वस्तु

		पेज नं0
1. परिचय		4–5
➢	प्रस्तावना	4
➢	उद्देश्य	4–5
➢	दृष्टिकोण	5
2. आधारभूत खेल संरचना		5–7
➢	आधारभूत खेल संरचना की स्टेडियम नीति	5–6
➢	निजी क्षेत्र की जन सहभागिता	6
➢	सीएसआर के तहत विकास कार्यक्रम	7
3. प्रशिक्षण		7–10
➢	नियमित प्रशिक्षण	7
➢	प्रशिक्षण शिविर	7–8
➢	प्रतिभाखोज योजना	8
➢	खेल अकादमियां	8–9
➢	निजी खेल अकादमियों को प्रोत्साहन	9
➢	पे एण्ड प्ले स्कीम	9
➢	अल्पकालिन प्रशिक्षकों की संविदा पर सेवाएं	9
➢	नर्सरी स्कीम	10
➢	महाविद्यालय एवं विद्यालयों को प्रोत्साहन	10
➢	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन	10
4. खेल एवं खिलाडियों को प्रोत्साहन		10–15
➢	खिलाडियों को देय पुरस्कार राशि	10–11
➢	पदक विजेताओं को अन्य सुविधायें	11
➢	शहरी क्षेत्र में आवास/राजस्व भूमि	11
➢	रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा	12
➢	राजकीय नौकरी में आरक्षण	12
➢	पदक विजेता खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी	12
➢	खिलाडी पेंशन योजना	12–13
➢	खिलाडियों को दैनिक भत्ता	13
➢	उत्कृष्टता पुरस्कार	13–14
➢	प्रशिक्षकों हेतु पुरस्कार	14–15
➢	खेल अधिनियम व नियम	15

पेज नं0 .

5. विज्ञान एवं तकनीक 15–16
- खेल विज्ञान केन्द्र 16
- सूचना प्रोद्योगिकी 16
- योग 16
- जिम एवं फिटनेस सेन्टर 16

6. विशेष खेल गतिविधियां 17–19
- खेलों इण्डिया 17
- जनजाति खेल 17
- बन्द हुई खेल प्रतियोगिताओं को पुनर्जीवित करना 17
- राजस्थान के परम्परागत खेल 18–19
- साहसिक खेल 19

1. परिचय

• प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा वर्ग की शक्ति को उत्पादक एवं अर्थ पूर्ण उद्देश्यों हेतु उपयोग में लिया जा सके, इसमें भी खेल अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राजस्थान सरकार का यह दृढ मत है कि खेल मानव संसाधन विकास की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा खेलों को एक ऐसे माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कि युवा वर्ग को अनुशाषित, आत्मविश्वासी, संगठित तथा एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करे तथा यह युवा वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का माध्यम बनें।

खेल नीति में राज्य सरकार के उपरोक्त मत को दृष्टिगत रखते हुए खेल नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। खेल नीति में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को उनके आवश्यकता के अनुरूप खेलों की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हो सकें ताकि वे स्वस्थ एवं अनुशाषित नागरिक के रूप में प्रदेश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

राज्य सरकार का यह भी दृढ़ मत है कि खेल मैदान, उपकरण एवं प्रशिक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही प्रतिभाशाली खिलाडियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जाये। प्रस्तावित खेल नीति में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

खेल नीति के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास होगा कि पूरे प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से खेलों के विकास हेतु आधारभूत खेल संरचनाऐं विकसित की जायें, जिससे अधिक से अधिक खिलाडियों विशेषकर उभरते हुए तथा होनहार खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण एवं सुविधाऐं प्रदान की जा सकें ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

• उद्देश्य

खेल नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

- प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों की खेल विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- खेलों में उत्कृष्टता को बढावा देना।
- खेलों के विकास हेतु उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, उसका संधारण करना तथा उपरोक्त आधारभूत ढांचे का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाडियों को प्रोत्साहित करना व सुविधायें प्रदान करना।

- प्रतिभाशाली खिलाडियों को सम्मानित करना तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु लगातार प्रोत्साहित करना।
- पैरा खिलाडियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधायें उपलब्ध करवाते हुए खेलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढावा देना एवं निरन्तर प्रोत्साहन देना।
- खेल विकास हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग बढाना।

• दृष्टिकोण

प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास एवं प्रतिभाशाली खिलाडियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना तथा प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रिम राज्यों के रूप में स्थापित करवाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को पहचान दिलवाना।

2. आधारभूत खेल संरचना

• आधारभूत खेल संरचना की स्टेडियम नीति

राज्य में खेल एवं खिलाडियों के स्वर्णिम इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए खेलों के विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में प्रमुख खेल आधाभूत संरचनाओं के विकास हेतु राज्य में खेल एवं खिलाडियों के विकास हेतु समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल सुविधाएं) कार्यक्रम–2007 चलाया गया था जिसके अन्तर्गत संभाग, जिला व तहसील स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य कराये जा रहे थे।

आधारभूत खेल संरचनाओं का निर्माण ग्रामीण स्तर पर भी हो सके इसके लिए इसे बढाते हुए वर्ष 2015 में समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल सुविधाऐं) कार्यक्रम–2015 कार्यक्रम लागू किया गया।

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम–2015 अन्तर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदण्ड का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	स्थान	अनिवार्य भूमि	खेल सुविधाओं का विवरण
1	संभाग स्तर के स्टेडियम	10.00 हैक्टेयर	400 मी0 एथलेटिक ट्रेक, फुटबाल, हॉकी, कबड्डी मैदान, तरणताल, इण्डोर स्टेडियम (बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस एवं कुश्ती इत्यादि), कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम, सिंथेटिक कवर रूप गैलेरी (10,000 सिटिंग कैपेसिटी) एवं लाईट नियत प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा सकता है।

2	जिला स्तर पर स्टेडियम	8.68 हैक्टेयर	400 मी0 एथलेटिक ट्रेक, फुटबाल, हॉकी, हैण्डबाल, बास्केटबाल, वॉलीबाल, टेनिस, खो–खो, कबड्डी मैदान, इण्डोर स्टेडियम (बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस एवं कुश्ती इत्यादि), कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम, सिंथेटिक कवर रूप गैलेरी (10,000 सिटिंग कैपेसिटी) एवं लाईट नियत प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा सकता है।
3	उपखण्ड/तहसील पंचायत समिति स्तर के स्टेडियम	8.00 हैक्टेयर	200 मी0 एथलेटिक ट्रेक, बास्केटबाल, वॉलीबाल, खो–खो/कबड्डी मैदान, कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा एवं जिम्नेजियम नियत प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा सकता है।
4	ग्राम पंचायत	3.00 हैक्टेयर	स्थानीय स्तर पर नरेगा के माध्यम से प्रचलित खेलों के मैदानों का विकास।

- राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर बजट उपलब्ध करवाया जावेगा।
- अन्य विकास योजनाओं जिसमें MP/MLALAD या अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त होने वाले बजट को Dovetail किया जाएगा।
- स्टेडियम निर्माण हेतु गुणावगुण के आधार पर मैचिंग ग्राण्ट की राशि 10.00 लाख रू. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

• निजी क्षेत्र की जन सहभागिता

प्रस्तावित खेल नीति में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर संभाग स्तर तक खेलों के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः उपरोक्त आधारभूत खेल संरचनाओं के विकास हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक होगी। इससे जहां एक ओर राज्य सरकार को धनराशि का प्रबंध करने में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के ज्ञान एवं अनुभव का भी लाभ लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य की खेल नीति को प्रभावित किये बिना निम्न कदम प्रस्तावित किये जाते हैं :–

- यदि कोई प्रतिष्ठित एवं समर्थ संस्थान किसी स्थान विशेष पर स्टेडियम मय आधारभूत सुविधा या फिर किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु सार्थक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रोत्साहित करने हेतु यथा संभव सभी प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जायेगी यथा भूमि, तकनीकी सहयोग इत्यादि।
- यदि निजी क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठान किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु वार्षिक प्रतियोगिताओं के प्रायोजन (Sponsership), अकादमियों की स्थापना सहित नियमित खेल वातावरण बनाये जाने में सार्थक पहल के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसे भी सभी प्रकार की संभव मदद दी जायेगी।
- निजी शैक्षणिक संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त किया जावेगा।

• सीएसआर के तहत विकास कार्यक्रम

सीएसआर के तहत औद्योगिक घरानों को अपनी आय का 2 प्रतिशत राशि देश के विकास कार्यक्रमों में लगाना होगा जिसमें खेल विकास का कार्यक्रम भी है। इसके तहत औद्योगिक घरानों से राशि प्राप्त कर विभिन्न खेलों के आधारभूत संरचना व प्रशिक्षण कार्यक्रम में खेलों के विकास में लगाया जावेगा।

3. प्रशिक्षण

• नियमित प्रशिक्षण

राज्य के सभी 33 जिलों में एवं राज्य स्तर पर होनहार प्रतिभाओं को तराशने और नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें निखारने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों को लगा रखा है। परिषद के प्रशिक्षकों के साथ–साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण देते हैं।

वर्तमान में जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण ढांचा है। इसे बढाकर ब्लॉक स्तर तक ले जाया जायेगा, जहां विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ–साथ होनहार खिलाडियों को निःशुल्क गहन प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जायेगा।

समस्त जिला स्तर प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रचलित खेलों के अन्दर नियमित एवं आवश्यकतानुसार अल्पकालिक प्रशिक्षक लगाये जायेंगे ताकि राज्य में खिलाडियों को प्रशिक्षण की अच्छी सुविधा मिल सके तथा खेलों के स्तर में सुधार हो।

• प्रशिक्षण शिविर

• राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर

राष्ट्रीय महासंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में राजस्थान टीम की भागीदारी से पूर्व आवश्यकतानुसार पूर्व प्रशिक्षण शिविर लगाया जावेगा।

• जिला स्तरीय प्रतिभाखोज प्रशिक्षण शिविर

सभी जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में हर वर्ष राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं।

• केन्द्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर

राज्य के 17 वर्ष तक के उदीयमान खिलाडियों के खेल कौशल का विकास, साहचर्य एवं सामंजस्यता जैसे गुणों का उन्नयन करने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों के सानिध्य में विभिन्न खेलों में प्रतिवर्ष माह मई–जून में एक 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन केन्द्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन पूर्ण आवासीय होता है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भोजन, आवास, उपकरण एवं प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

• केन्द्रीय जनजाति ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर

उपरोक्त 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष माह मई–जून में जनजातिय क्षेत्र में किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भोजन, आवास, उपकरण एवं प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

उपरोक्त शिविरों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है तथा इन्हीं खिलाडियों में से कुछ खिलाडी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• प्रतिभा खोज योजना

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ की हुई है, जिसके अन्तर्गत 14 से 18 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाकर चयनित खिलाडियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर जिलों एवं उपकेन्द्रों पर प्रतिवर्ष प्रतिभाखोज शिविर आयोजित करते हुए चयन किया जायेगा तथा इन्हें खेल विकास कार्यक्रम के तहत गहन प्रशिक्षण दिया जावेगा।

इस तरह चयनित प्रतिभाशाली खिलाडियों को एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जायेगी। इस तरह इस योजना के परिणामस्वरूप राज्य के सभी खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर खिलाडियो की मात्रा में इजाफा हो सकेगा एवं प्रतिभायें पलायन से रूक सकेंगी।

• खेल अकादमियां

राजस्थान विस्तृत भू–भाग के साथ विविध संस्कृतियों का संगम स्थल है। इसके अनुरूप ही पारंपरिक रूप से अनेक खेल प्रचलित हैं। ऐसे खेल जो सर्वाधिक प्रचलित हैं उनमें खिलाडियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित करते हुए संबंधित खेल में आगे बढाने के लिए खेल अकादमियों की स्थापना की जायेगी। जहां पर खिलाडियों को रहने के लिए आवास एवं पौष्टिक भोजन नियमित अध्ययन सुविधा के साथ उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में खेल अकादमियों का एक सुविकसित ढांचा तैयार किया जाये, जहां से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार हो सकें। वर्तमान में प्रदेश में निम्नलिखित खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है :–

- बालक एथलेटिक खेल अकादमी, श्रीगंगानगर।
- बालक वॉलीबाल खेल अकादमी, झुंझुनूं।
- बालक तीरन्दाजी खेल अकादमी, उदयपुर।
- बालिका वॉलीबाल खेल अकादमी, जयपुर।
- बालिका एथलेटिक्स खेल अकादमी, जयपुर।
- बालिका हैण्डबाल खेल अकादमी, जयपुर।
- बालिका तीरन्दाजी खेल अकादमी, जयपुर

- महिला बास्केटबाल अकादमी, जयपुर।
- महिला हॉकी अकादमी, अजमेर।
- बालक फुटबाल अकादमी, जोधपुर।
- बालक कबड्डी अकादमी, करौली।
- बालक बास्केटबाल अकादमी, जैसलमेर।
- बालक हॉकी खेल अकादमी, जयपुर।
- बालक (सीनियर) बास्केटबाल खेल अकादमी, जयपुर।
- बालक कुश्ती अकादमी, भरतपुर।
- बालक साईक्लिंग अकादमी, बीकानेर।
- बालिका फुटबॉल अकादमी, कोटा।

राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए संभाग/जिला स्तर पर अकादमियों की संख्या को यथा आवश्यकता बढाया जावेगा तथा इसके लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जाकर निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।

• निजी खेल अकादमियों को प्रोत्साहन

विद्यालय या निजी संस्था द्वारा आवासीय/डे–बोर्डिंग खेल अकादमी चलाने के लिए जिला क्रीडा परिषद एवं जिला खेल संघ द्वारा मान्य प्रदान की जावेगी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर खेल गतिविधियों हेतु सुविधाएं प्रदान की जावेगी।
स्टेडियम खेल मैदान एवं क्रीडा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं द्वारा निवेश को बढावा देने के लिए कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत–प्रतिशत छुट प्रदान की जावेगी।

• पे एण्ड प्ले स्कीम

राज्य में समस्त जिलों के अन्दर आधारभूत खेल संरचना का विकास किया जा रहा है जिसके तहत स्टेडियम में खेल मैदानों का विकास कर उन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान की जावेगी। परन्तु मैदानों के रख–रखाव व आवश्यक सुविधाएं हेतु पे एण्ड प्ले स्कीम लागू की जा रही है जिसके तहत आने वाला खिलाडी कुछ शुल्क जमा कर खेल सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। इस शुल्क से खेल मैदानों का रख–रखाव व आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति की जावेगी। परन्तु पे एण्ड प्ले स्कीम के तहत राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को निःशुल्क खेल सुविधाएं प्राप्त होगी।

• अल्पकालिक प्रशिक्षकों की संविदा पर सेवाएं

राज्य में प्रशिक्षण केन्द्रों पर खेल प्रशिक्षण के लिए क्रीडा परिषद द्वारा विभिन्न खेलों में नियमित प्रशिक्षक नियुक्त किये हुए है। नियमित प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रीय प्रचलित खेलों में एजेन्सी के मार्फत अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी, एनआईएस डिप्लोमाधारी एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी जिन्होंने प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है को संविदा पर अल्पकालिक खेल प्रशिक्षक लगाने में प्राथमिकता प्रदान की जायेंगी ताकि खिलाडियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो तथा राज्य में खेल का स्तर ऊपर उठ सके।

- **नर्सरी स्कीम**

राज्य के समस्त जिलों में प्रचलित खेलों के विकास के लिए विभिन्न प्रचलित खेलों में नवीन खिलाडियों (8 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग) के लिए नर्सरी स्कीम लागू की जावेगी जिसके तहत चयनित खिलाडियों को खेल पौशाक, खेल उपकरण एवं निःशुल्क खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा ताकि खिलाडियों का स्तर ऊपर उठ सके।

- **महाविद्यालय एवं विद्यालयों को प्रोत्साहन**

राज्य के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के मापदण्ड अनुसार खेल मैदान या खेल आधारभूत संरचना उपलब्ध होने पर यथासंभव राज्य सरकार द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाया जाकर एक्सीलेन्स सेन्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। एक्सीलेन्स सेन्टर के रूप में राजकीय महाविद्यालय/विद्यालय को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन**

ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं को खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक व जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जावेगा जिससे राज्य में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्राप्त होगा।

4. खेल एवं खिलाडियों को प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा देश व प्रदेश के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाडियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौसला अफजाई करते हुए नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। खिलाडी शब्द से आशय : सामान्य खिलाडी, निशक्त खिलाडी (डीफ, पैरालिम्पिक) एवं जूनियर खिलाडी हैं।

- **खिलाडियों को देय पुरस्कार राशि**

क्र.सं	प्रतियोगिता का विवरण	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1	ओलम्पिक गेम्स	3.00 करोड	2.00 करोड	1.00 करोड
2	एशियन गेम्स	1.00 करोड	0.60 करोड	0.30 करोड
3	कॉमनवेल्थ गेम्स	1.00 करोड	0.60 करोड	0.30 करोड

- **अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाऐं**

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	5,00,000/– रु तक
2	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	3,00,000/– रु तक
3	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	2,50,000/– रु तक

- **राष्ट्रीय स्पर्धाऐं**

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	2,00,000/– रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	1,50,000/– रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	1,25,000/– रु तक

- **राज्य स्पर्धाऐं**

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	1,00,000/– रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	50,000/– रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	30,000/– रु तक

• पदक विजेताओं को अन्य सुविधाएं

पदक जीतने पर राज्य सरकार ने नकद पुरस्कार के साथ–साथ अन्य सुविधाएं देने की भी योजना बनाई है।

• शहरी क्षेत्र में आवास/राजस्व भूमि का आवंटन

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाडियों को प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर निःशुल्क व रियायती दर पर मकान व भूमि आवंटित की जा रही है। राजस्व उप निवेशन विभाग के आज्ञा क्रमांकः एफ. 3(55)उप/95 जयपुर, दिनांकः 29.09.2000 के भूमि आंवटन करने बाबत आदेश इस प्रकार है :–

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु इस विभाग के पत्रांक प. 31(49)राज/उप/77 दिनांक 27.07.82 के बिन्दु सं. 11(द) को ओर स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. ओलम्पिक, एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी सामान्य आवंटन की 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि के आवंटन के नियमानुसार आरक्षित मूल्य पर आवंटन के पात्र होंगे।
2. ओलम्पिक एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के पात्र होंगे।
3. ओलम्पिक, एशियाड या राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेता खिलाडियों जो राजस्थान प्रदेश के है, उन्हें राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में 220 वर्गमीटर तक जमीन आवास हेतु रियायती दरों पर देगी।
4. एवरेस्ट पर्वतारोहण में सफल राजस्थान के निवासी पर्वतारोही इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि रियायती दरों पर आवंटन के पात्र होंगे।

• रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा

अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।

• राजकीय नौकरी में आरक्षण

राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना संख्या सं. एफ. 15(3)डीओपी/ए–II/2013/पार्ट जयपुर, दिनांक 03.07.2017 अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में यथा बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व के विश्वविधालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों, ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा या टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तथा जिन खिलाडियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो या खिलाडियों की भागीदारी रही हो, उन सभी खिलाडियों को कतिपय राजकीय सेवाऐं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं एवं जो परिधि से बाहर हैं, में भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त खेल संघों एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताऐं इस हेतु मान्य होंगी।

• पदक विजेता खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी

चयनित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाडियों को सरकारी विभागों में नियमानुसार Out of Turn नौकरी प्रदान की जावेगी।

• खिलाडी पेंशन योजना

राज्य के जिन खिलाडियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया हो एवं ओलम्पिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो तथा जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो, को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से पेंशन दी जायेगी।

जिस खिलाडी को पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जायेगी, उसको राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई वित्तीय लाभ दिये जा रहे है या दिये जायेंगे, उसको इससे नहीं जोडा जायेगा।

जिन खिलाडियों को पेंशन का लाभ दिया जायेगा उनको एक अन्डर टेकिंग देनी होगी कि 40 वर्ष की आयु तक राज्य में जिस स्थान के वे निवासी हैं वहां पर अपने खेल में एक घन्टे प्रतिदिन राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा संचालित केन्द्र पर प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। जिससे उनके अनुभवों का लाभ युवा खिलाडियों को मिल सके।

खिलाडियों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक फण्ड की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम खिलाडी पेंशन योजना होगा।

इस फण्ड के प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु एक कमेटी होगी जो निम्न प्रकार है :–

1.	माननीय मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख/शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राज.सरकार	सदस्य
3.	राज्य का अर्जुन अवॉर्डी खिलाडी	सदस्य
4.	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर	सदस्य सचिव

• खिलाडियों को दैनिक भत्ता

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों को राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु खिलाडियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाता है।

- राष्ट्रीय स्तर पर 1000/– रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर में 600/– प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर 600/– रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।

• उत्कृष्टता पुरस्कार

• खेल रत्न पुरस्कार

ऐसे खिलाडी जो किसी वर्ष विशेष में असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित करते हैं, उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसे खिलाडियों का चयन किया जायेगा जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित किसी खेल में पदक प्राप्त किया हो। खेल रत्न पुरस्कार के तहत रूपये 2.00 लाख नकद, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जायेगी। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है :–

1.	माननीय मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राज.सरकार	सदस्य
3.	राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता	सदस्य
4.	प्रमुख खेल प्रशासक	सदस्य
5.	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर	सदस्य सचिव

• पात्रता

खेल रत्न पुरस्कार हेतु वे खिलाडी चयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय, सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ऐसे खेलों में प्राप्त किया हो, जो राजस्थान खेल नीति में वर्णित हैं तथा उपरोक्त खिलाडियों की उत्कृष्टता का स्तर गत पांच वर्षों तक लगातार निरन्तर रूप से जारी रहा हो। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में केवल भागीदारी करने मात्र से ही खेल रत्न पुरस्कार हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पात्र खिलाडी को उपरोक्त प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है।

- **महाराणा प्रताप पुरस्कार**

महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 1,00,000/– रूपये नकद, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जाती है।

महाराणा प्रताप पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखने हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया है :–

• अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद	अध्यक्ष
• शासन उप सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग	सदस्य
• राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता	सदस्य
• प्रमुख खेल प्रशासक	सदस्य
• सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद	सदस्य सचिव

- **पात्रता**

महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए ऐसे खिलाडी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय, सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ऐसे खेलों में प्राप्त किया हो जो कि खेल नीति में वर्णित हैं एवं उनकी उत्कृष्टता का स्तर विगत पांच वर्षों तक निरन्तर रूप से कायम रहा हो, पात्र होंगे। किसी भी टूर्नामेन्ट में केवल भागीदारी महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पात्र नहीं बना देगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पात्र खिलाडी को उपरोक्त प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है।

इस हेतु दिशा–निर्देश बने हुए है जिसमें खेल प्रतियोगिता में परिणामों पर अंक निर्धारण के अनुसार वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।

• <u>प्रशिक्षकों हेतु पुरस्कार</u>

- **गुरू वशिष्ठ पुरस्कार**

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की शुरूआत राज्य के ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिन्होंने अपने खिलाडियों को उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान किया हो। इस पुरस्कार के अन्तर्गत रूपये 1,00,000/– रूपये नकद, गुरू वशिष्ठ की प्रतिमा, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जाती है।

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार चयन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :–

• माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग	अध्यक्ष
• प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग	सदस्य
• राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता	सदस्य
• प्रमुख खेल प्रशासक	सदस्य
• सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद	सदस्य सचिव

- **पात्रता**

- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने एशियाई, राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित की गई टीम ने ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप, एशियाई खेल, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेल अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- उपरोक्त प्रदर्शन तीन वर्ष तक निरन्तर रहना आवश्यक है।
- इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में प्रशिक्षित खिलाडी या टीम के द्वारा केवल भागीदारी करने मात्र से ही गुरू वशिष्ठ पुरस्कार हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गुरू वशिष्ठ पुरस्कार हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जायेगा जब प्रशिक्षित खिलाडी या टीम के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक जो परिषद में प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार किये हों, गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के पात्र होंगे।
- खिलाडियों के प्रतियोगिता में भाग लेने पर दिशा–निर्देशों के अनुसार परिणामों के अंकों के आधार वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।

- **खेल अधिनियम व नियम**

प्रदेश में खेलों व खेल संघों के सुव्यवस्थिकरण हेतु राजस्थान क्रीडा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 लागू है। उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदेश में खेल संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन की कार्यवाही की जाती है।

5. विज्ञान एवं तकनीक

बदलते युग में विज्ञान एवं तकनीक खिलाडियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। खेलों में प्रशिक्षण के साथ–साथ विज्ञान एवं तकनीक का प्रचलन आम हो गया है। इसके अन्तर्गत खिलाडियों के कौशल व शक्ति के साथ–साथ मानसिक एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। प्रतियोगी युग में इसका उपयोग करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

• खेल विज्ञान केन्द्र

आधुनिक युग में खेल विज्ञान खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। इस खेल विज्ञान केन्द्र में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता एवं उनके प्रदर्शन में निरंतर परिवर्तनों का संधारण किया जाता है जिसके आधार पर प्रशिक्षक उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय–समय पर बदलाव लाते हैं। अतः इस केन्द्र में जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स, खेल मनोविज्ञान व खेल चिकित्सा के विभाग होंगे। सर्वप्रथम स्पोर्टस् मेडीसन, फिजियो थैरेपी एवं योग के विशेषज्ञ कार्मिकों आदि से युक्त यह केन्द्र क्रीडा परिषद मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जायेगा। इसके बाद संभागीय मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जायेगी।

• सूचना प्रोद्योगिकी

प्रदेश की जनता प्रदेश मे उपलब्ध खेल संरचनाओं एवं खेल सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। इस हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा एक वेबसाईट विकसित की जायेगी जिस पर प्रदेश में उपलब्ध खेल संरचनाओं एवं खेल सुविधाओं के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट पर राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी चैम्पियनशिप एवं प्रतियोगिताओं के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद खेलों से संबंधित समस्त जानकारियां एवं त्रैमासिक पत्रिका ''न्यूज लेटर'' के माध्यम से प्रकाशित कर प्रदेश की जनता तक उपलब्ध करवाती है।

इसके साथ ही प्रत्येक जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में एक खेल पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी जिसमें खिलाडियों एवं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं सीडी रोम्स इत्यादि संधारित किये जायेंगे। इसी प्रकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुस्तकालय स्थापित किया जायेगा जिसमें खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, महान खिलाडियों की जीवनियां इत्यादि का संधारण किया जायेगा।

• योग

वर्तमान जीवन की भाग–दौड एवं उससे उपजे तनाव से हमारा खिलाडी वर्ग भी अछूता नहीं है एवं बहुत बार खिलाडियों के द्वारा तनाव की स्थिति में आत्महत्या जैसे कदम उठाने की घटनायें सामने आती हैं। इसलिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में खिलाडियों के लिए एक योग केन्द्र स्थापित करेगी, जहां पर खिलाडियों के मानसिक दबाव में आने की स्थिति में उन्हें समुचित योग प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानसिक दबाव की परिस्थितियों में विभिन्न योग पद्धतियां बहुत कारगर सिद्ध होती हैं।

• जिम एवं फिटनेस सेन्टर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के 33 जिलों में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है। जहां पर परिषद के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा खिलाडियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों पर आने वाले खिलाडियों हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक जिम एवं फिटनेस सेन्टर खोला जाएगा जहां पर खिलाडी अपने प्रशिक्षक के सानिध्य में जिम पर शारीरिक व्यायाम अपने खेल के अनुसार कर सकेंगे। इन जिम सेन्टरों के स्थापना से खिलाडियों के कौशल में वृद्धि होगी।

6. विशेष खेल गतिविधियां

• खेलों इण्डिया

भारत सरकार द्वारा खेलों इण्डिया की योजना शुरू की है जिसमें अण्डर–18 एवं अण्डर–21 आयु वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण भी किये जाने का प्रावधान है।

• जनजातीय खेल

जनजातीय क्षेत्रों में खिलाडियों की उत्कृष्टता को बढावा देने हेतु विशेष सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान कर उन्हें तराशा जाता है तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित खेलों की सब–जूनियर, जूनियर एवं सीनियर स्तर की प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं।

• बंद हुई खेल प्रतियोगिताओं को पुनर्जीवित करना

यह देखने में आया है कि विगत कुछ वर्षों में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाने वाली कुछ खेल प्रतियोगिताऐं बन्द हो गई हैं। ये खेल प्रतियोगिताएं प्रायोजकों, संस्थाओं, खेल प्रेमी संगठनों, खेल प्रेमियों आदि के द्वारा आयोजित की जाती थीं। उक्त प्रतियोगिताओं के बन्द होने के कई कारण रहे हैं जिनमें आयोजन हेतु धन का अभाव प्रमुखतम है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन बंद हो जाने से राज्य के खेल वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढावा देने की नीति के तहत वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत रूपये 50.00 लाख का प्रावधान इस हेतु किया गया है। इस प्रावधान को उपयोगिता के आधार पर बढाते हुए नियमित किया जायेगा।

• राजस्थान के परम्परागत खेल

राजस्थान का इतिहास शौर्य, बलिदान व बहादुरी का ही इतिहास नहीं है बल्कि परम्परागत खेलों का भी इतिहास है। राजस्थान के परम्परागत खेलों से मानसिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। राजस्थान के परम्परागत खेलों में पारीवारिक एवं स्थानीय नागरिकों के द्वारा खेले जाते हैं। वर्तमान समय में परम्परागत खेलों की जगह क्रिकेट, पैरा ग्लाईडिंग, पर्वतारोहण आदि खेलों ने ले लिया है।

राजस्थान के परम्परागत मुख्य खेल है –

1. रस्सा कस्सी, 2. ऊँट व घोडा गाडी दौड, 3. पतंगबाजी, 4. गुल्ली–डंडा, 5. कंचिया (कांच की गोलियां), 6. सितोलिया (गेंद व सात पत्थर), 7. रूमाल छपट्टा, 8. गोफन चलाना, 9. नटणियां खेल आदि खेल हैं।

राजस्थान के परम्परागत खेल जो छोटे–छोटे गॉवों में खेले जाते हैं। परम्परागत खेलों के विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए ग्रामीण स्तर पर निमित्त गतिविधियों के माध्यम से परम्परागत खेलों का बेहतर वातावरण तैयार किया जायेगा।

• साहसिक खेल

वर्तमान युग में युवाओं में आत्मविश्वास की कमी महसूस की जाती रही है, जिससे कई बार वे मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। साहसिक खेलों के माध्यम से मानसिक अवसाद को काफी कम किया जा सकता है। सामान्यतः साहसिक खेल तीन प्रकार के होते हैं, जो हवा, पानी और जमीन पर होते हैं। साहसिक खेलों को बढावा देने की दिशा में राज्य सरकार इसे उचित प्रोत्साहन देगी।

****